(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Working Group in its report had expressed the view that the present fixed capital investment limit of small scale/ancillary units is inadequate for raising the technology level of small industries to meet the international requirements of quality and specifications. The Committee has recommended for certain industry-groups, a ceiling of Rs. 50 lakhs as capital investment. For ancillary sector, the Committee has recommended the raising of investment limit to Rs. 75 lakhs.

Shifting of TELCO plant

2192. SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the location of the plant of the Tata Engineering and Locomotive Company earlier proposed to be set up in Karnataka has since been shifted to Uttar Pradesh; and

(b) if so, what are the reasons for shifting the location of the said plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तिनसुकिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां

2193. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि तिनसुकिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई 122 मतदाता सूचियों में बहुत सारे लोगों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या छूटे हुये नामों के मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए कोई निदेश दिये गये हैं; यदि नहीं, तो मतदाता सूचियों में मतदाताओं के छूटे हुये नामों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां । निर्वाचन आयोग को तिनसुकिया से कुछ राजनैतिक दलों और कुछ संगठनों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) असम में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य में प्रगति हो रही है । सभी निर्वाचनक्षेत्रों की प्रारूप नामावलियां प्रकाशित की जा चुकी हैं । प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन के पश्चात् सभी पात्र निर्वाचकों को दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए 25 दिन का समय दिया गया है । दावों और आक्षेपों का निपटारा एक कानूनी प्रक्रिया है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर इनमें से केवल उन्हीं व्यक्तियों को नामावली में सम्मिलित कर सकते है जो विधि के अधीन ऐसे सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं । उन्हें निर्वाचन विधियों, नियमों और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, दावों और आक्षेपों को निपटाना होता है । निर्वाचन आयोग किसी नामावली में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने या न किये जाने के लिए कोई निदेश जारी नहीं कर सकता । फिर भी, निर्वाचन आयोग असम में विद्यमान स्थिति को ध्यान रखते हुये दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए नियत किये गये समय में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है । ऐसा केवल उन व्यक्तियों को अवसर देने के लिए किया गया है जो पात्र तो हैं किन्तु अपने दावे फाइल नहीं कर सके हैं ।

गत लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान मुख्य मंत्रियों द्वारा सरकारी क्षेत्र और वायुयानों के इस्तेमाल के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये अनुदेश

2194. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के लोक सभा तथा 1985 के राज्य विधान सभाओं के चुनावों की पूर्व संध्या पर भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के अन्य मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र और विमानों के इस्तेमाल किये जाने हेतु कोई अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया ;

(ग) क्या चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के लिए मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों द्वारा राज्य सरकारों के विमान किराए पर लिए गये थे ; यदि हां, तो ऐसे विमानों का प्रभार किसने चुकाया ;

(घ) क्या सरकार उन मुख्य मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का पालन नहीं किया ; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये, कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन प्रयोजन के लिए शासकीय वायुयानों और यानों सहित सरकारी परिवहन जैसे सरकारी तंत्र के प्रयोग को राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबन्ध लागू होते हैं । निर्वाचन आयोग द्वारा परिचालित आदर्श संहिता की प्रति संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट CXXXV, अनुबंध संख्या 51] ।

(ग) लोक सभा निर्वाचन के दौरान सरकारी वायुयानों के उपयोग की बाबत शिकायतों सम्बन्धी ब्यौरा अतारांकित प्रश्न सं० 74, तारीख 21-1-1985 के उत्तर में दे दिया गया है । विधान सभा निर्वाचनों सम्बन्धी ऐसी ही जानकारी निर्वाचन आयोग इकट्ठी कर रहा है और जब भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है । इस समय आदर्श संहिता के उपबन्धों का प्रभाव मात्र नैतिक है । आयोग ने समय समय पर इस बात पर जोर दिया है कि सत्तारूढ़ दल अपने हितों को अग्रसर करने के लिए शासकीय वायुयानों का उपयोग न करे । प्रवर्तन सम्बन्धी परिसीमाओं को ध्यान में रखते हुये आयोग ने सिफारिश की है कि संहिता के उल्लंघन को निर्वाचन-अपराध बना दिया जाये । यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के लिए की गई सिफारिशों का एक भाग है और सरकार के विचाराधीन है ।

Prevention of misuse of religious places for electioneering

2195. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the recommendation of the Election Commission regarding prevention of misuse of places of worship for electioneering; if so, the details of the decision taken; and

(b) if not, by when a decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Kind attention is invited to the reply given to Starred Question No. 308, dated 13-8-1984 detailing the proposal recommended by the Election Commission. This proposal along with others sent by the Commission recently is under the consideration of the Government. While Government are keen to put through